# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

**गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 13/2016**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,झुंझुनू ।

–बनाम–

अखिलेश उर्फ बन्टी पुत्र रामेश्वरलाल महाजन उम्र 45 साल निवासी कुहाड़वास थाना बुहाना जिला झुंझुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3/2 खण्ड (ख) उपखण्ड
(5) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

–निर्णय– दिनांक 30.1.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 09.09.2015 को गैर सायल अखिलेश उर्फ बन्टी पुत्र रामेश्वरलाल महाजन उम्र 45 साल निवासी कुहाड़वास थाना बुहाना जिला झुंझुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि अखिलेश उर्फ बन्टी पुत्र रामेश्वरलाल महाजन उम्र 45 साल निवासी कुहाड़वास थाना बुहाना जिला झुंझुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृति का बदमाश व्यक्ति है। यह कुहाड़वास में बदमाश व्यक्तियों के साथ एक गुट बनाकर जुआ–सट्टा का धंन्धा करता है तथा अनावश्यक ही आपराधिक गतिविधियों से कस्बा बुहाना एवं आस–पास के इलाके में आम नागरिकों को भयभीत व आतंकित कर रखा है। इसकी अपराधिक गतिविधियां लगातार बढ रही हैं, जिसके द्वारा जुआ स्ट्टा के अपराध में लोगों को फंसाया जा रहा है तथा इसके धन्धे से समाज व नई पिढी पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट दर्ज कराने से डरता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढी व समाज पर विपरित असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 3 अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनमें न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है। उक्त गैर सायल वर्तमान में भी सकिय है। इसके जिले की सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एंव दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. अभियोग संख्या 71/2010 दिनांक 16.3.2010 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना बुहाना में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 39 दिनांक 20.3.2010 किता कर दिनांक 30.3.2010 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.3.2010 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
2. अभियोग संख्या 146/2014 दिनांक 24.11.2014 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना बुहाना में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 120 दिनांक 29.11.2014 किता कर दिनांक 07.05.2015 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.05.2015 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

3. अभियोग संख्या 1/2015 दिनांक 05.1.2015 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना बुहाना में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 1 दिनांक 13.01.2015 किता कर दिनांक 08.04.2015 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.04.2015 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त अखिलेश उर्फ बन्टी पुत्र रामेश्वरलाल महाजन उम्र 45 साल निवासी कुहाड़वास थाना बुहाना जिला झुंझुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 28.12.2016 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे इन्कार करने पर गवाह एच0सी0 38 श्री रामेश्वरलाल के बयान लिए जाकर बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने बताया कि तत्कालीन थानाधिकारी बुहाना श्री महेन्द्रसिंह एच0सी0 रामेश्वरलाल एवं एच.एम. श्री जसवन्त सिंह की साक्ष्य से गैर सायल के विरूद्ध उक्त आरोपों में अपराध प्रमाणित होता है और गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के खण्ड (5) में अंकित आर.पी.जी.ओ. 1949 के अधीन तीन बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता हैह। अतः इसे झुंझुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

गैर सायल का तर्क है कि किसी व्यक्ति विशेष की कोई शिकायत नहीं है तथा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय में दोषी माना है। पुलिस द्वारा अभियान चलाकर 13 आर.पी.जी.ओ. के अपराध का कोटा पूर्ति हेतु गैरसायल के खिलाफ चालान किया है । जनता को गैर सायल से कोई भय नहीं है तथा अब ताजा किसी प्रकार का कोई प्रकरण गैर सायल के विरूद्ध दर्ज नहीं हुआ है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर गैरसायल के खिलाफ तीन बार आर0पी0जी0ओ0 के अपराध में दोषी होने का प्रमाण स्वरूप न्यायालय के निर्णयों प्रमाणित प्रतियां मौजूद है। अतः गैर सायल धारा 2 (ख) (5) में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है जिसका लगातार ऐसा अपराध करना आवश्यक नहीं है। धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेजात सम्युष्टी के लिए पर्याप्त हैं। अतः प्रत्येक एफ0आई0आर0 दर्ज कर्ता व चालान पेश कर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नहीं है। तथा राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अतः किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए एवं जुआ एक्ट सामाजिक बुराई है, को मध्य नजर रखते हुए मुझे यह पूरा विश्वास है कि गैर सायल यदि इस जिले

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झनू

में बना रहता है तो वह जुआ जैसे अपराधों की पुनरावृति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हे दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है। अतः धारा 3 (ख) (11) में अंकित कारणों के विश्वास के कारण में गैर सायल अखिलेश उर्फ बंन्टी को इस जिले से निष्कासन करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूँ।

अत गैर सायल अखिलेश उर्फ बन्टी पुत्र रामेश्वरलाल महाजन उम्र 45 साल निवासी कुहाड़वास थाना बुहाना जिला झुंझुनू। को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (ख) (ii) के तहत 1 माह की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नही रहेगा तथा गैर सायल अखिलेश उर्फ बन्टी पुत्र रामेश्वरलाल महाजन उक्त 1 माह की निष्कासित अवधि मे जहॉ भी निवास करे, उस स्थानीय थानाधिकारी को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना थाना बुहाना को देंगे तथा थानाधिकारी थाना बुहाना उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे । यह निर्णय दिनांक 30.01.2020 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.1.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू